

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं ०	28]	नई बिल्लो, गनिवार, जुलाई 15, 1978/आबाह 24, 1900
No.	28]	NEW DELHI, SATURDAY, JULY 15, 1978/ASADHA 24, 1900

इस माग में मिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती हैं जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—वण्ड 3—उप-वण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केम्ब्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अग्तर्गत वनाए और जारी किए गए साधारण त्रियम जिनमें साधारण प्रकार के ब्रावेश, उपनिथम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, ज्याच और कम्पनी कार्च मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

(कम्पमी विधि वोई)

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1978

साक कार्वनिक 892. --- भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की मधिसूचना संक साक का की क 443(क) तारीख 18 अक्तूबर, 1972 के साथ पठिन, कम्पनी ग्राधनियम, 1956 (1956 का 1) की घारा 594 की उप-क्षारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रघरत सक्तियों का प्रयोग करते हुये, तथा भारन सरकार के विन्त मंग्नालय (कम्पनी विधि प्रणासन विभाग) की ग्राधिसूचना संक मार्जनव्यारु 3216 तारीख 4 प्रक्तूबर, 1957 की प्रधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'ग्राधिसूचना' कहा गया है) में आंशिक उपास्मर करते हुए कम्पनी विधि बोई एतद्द्वारा यह निदेश देना हे कि मैसमें ग्रोकूरा एण्ड कम्पनी लिथ (जिसे इसमें इम के पश्चात् किसी विदेशी कम्पनी के प्रपने लागू होने के संबंध में प्रधिसूचना ढारा उपाग्तरित की गई है, निम्नलिखित धन्य प्रपवादों सथा उपाग्तरों के प्रध्याधीन रहते हुए लागू होंगी, प्रर्थात् :---यदि 31 मार्च, 1978 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति की बाबत कम्पनी

'कम्पनी' कहा गया है) के सामले में, जो एक विवेशी कम्पनी है, उक्त

धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की भरेक्सायें जैसी कि वे

भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रार को, निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करें तों उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त ग्रनुपालन हुंधा समझा जाएगा :---

(क) कम्पनी द्वारा प्रापने मूल वेश में बिहित प्राधिकारो को प्रस्तुत विश्व लेखे की प्रतियां। (ख) कम्पनी प्रधिनियम, 1956 की धारा 592 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के प्रधीन भारत के प्राधिकृत व्यक्ति तथा भारत के शास-प्राप्त लेखापाल द्वारा प्रमाणित, भारतीय शाखा द्वारा की गई प्राप्तियों तथा वितरणों का विवरण-पन्न ; (ग) उपर के पैरा (क) में बर्णित ढंग मे प्रमाणित भारत में परिसंपत्तियों तथा देन

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1978

सा०का०नि०909. — महापत्तन न्यास मधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 124 की उपघारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त श्वधिनियम की धारा 28 के खण्ड (ख) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मदास के पत्तन के न्यासियों के मण्डल द्वारा निमित और तमिलनाडु सरकार के तारीख 22 मार्च, और 29 मार्च, 1978 के राजपत्न के प्रकाशित मद्रास पत्तन न्यास (पेन्शन) संशोधन विनियम 1978 नामक जिनियमों का श्रनुमोदन करती है।

> [मॅख्या पी०ई०एम० (32)/78] दीवानचन्द्र प्रहीर, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd July, 1978

G.S.R. 908.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 124, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves of the regulation entitled "Madras Port Trust (Pension) Amendment Regulations, 1978" made by the Board of Trustees for the Port of Madras in exercise of the powers conferred by clause (b) of section 28, of the said Act and published in the Tamil Nadu Government Gazette, dated the 22nd and the 29th March, 1978.

> [No. PEM(32)/78] D. C. AHIR, Under Secy.

सचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जून, 1978

सा०का०वि० 909:---संविधान के मनुष्फेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त मधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, माकाशवाणी (अणी 4 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में म्रतिरिक्त संग्रोधन करने के लिए एतवुद्वारा निम्नलिग्वित नियम बनाते हैं, प्रथति :---

 (1) इन नियमों को माकागवाणी (श्रेणी 4 पद) भर्ती (संशो-धन) नियमावसी, 1978 कहा जा सकेगा।

(2) थे नियम सरकारी राजपत्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी 4 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में, "(श्रेणी 4 पद)" कोष्ठक, संख्या श्रीर शब्द जहां कहीं भी हो उनके स्थान पर "समूह 'ग'" शब्द श्रीर प्रक्षर प्रतिस्थापित किये जायेगे।

[सं० 12019/5/78-बी० (ए०)]

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 21st June, 1978

G.S.R. 909.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class IV posts) Recruitment Rules, 1964, namely :---

- 1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class IV Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1978.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Radio (Class IV Posts) Recruitment Rules, 1964, for the brackets figure and the words "Class IV posts)", wherever they occur the word and letter "Group 'D' " shall be substituted.

[No. 12019/5/78-B(A)]

सा॰का॰लि॰ 910.- संविधान के मनुष्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त मधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, माकाशवाणी (श्रेणी 1पद) भत्तीं नियमावली, 1963 में मतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतर्द्दारा निम्मलिखित नियम बनाते हैं, मर्थात्:

1. (1) इन नियमों को माकासवाणी (थेंगी 1पत्त) भर्ती (चतुर्थ संसोधन) नियमावली, 1978 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपक्ष में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. माकाशवाणी (श्रैणों 1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 की मनुसूची में , कम संख्या 7 मौर 8 मौर उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न-लिखिक कम संख्या मौर प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी; मर्पतिः---

1 2	3	4	5	6	7	8
					श्रीवेषयकः	
7. निवेशक (फार्म ग्रोर गृह्	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपवित	1500-60-1800- 100-2000 र पए	षयन	(सरकारी कर्म चारियों के लिए गिथिलनीय) ।	 किसी मान्यता प्राप्त विध्वव विद्यालय से इत्तवि में स्तात कोक्तर उपाधि या समतुत्य/ किसी विध्वविधालय या कालेज या किसी सरकारी विभाग या सार्वजमिक क्षेत्र के उपकर्म में इत्ति संचार य पिछ्ताप या गिक्षण य प्रशिक्षण के क्षेत्र मैं कम से कम 7 वर्ष का मनुभव (झनुभव में जन संचार य इति विस्तार के क्षेत्र में प्रमु संवाम मैं अनुभव की म गणना की णाएगी)।

ديموندر رجارو م